

भ्रामक खाद्य वजिजापनों को कम करना

प्रलिमिंस के लिये:

[FSSAI](#), [CCPA](#), FSS अधिनियम 2006, उपभोक्ता कल्याण नधि, [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद](#), [उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021](#)

मेन्स के लिये:

भ्रामक खाद्य वजिजापनों को कम करना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण \(FSSAI\)](#) ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स (FBO) को [खाद्य सुरक्षा तथा मानक \(वजिजापन एवं दावे\) वनियम, 2018](#) के उल्लंघन में लपित पाया है तथा उन्हें भ्रामक दावों को कम करने लिये कहा है।

- वर्ष 2022 में [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण \(CCPA\)](#) ने [झूठे या भ्रामक वजिजापनों को रोकने के लिये दशा-नरिदेश](#) जारी किये थे।

चर्चा:

- FSSAI ने पता लगाया है कि [न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों](#), [परिष्कृत तेल](#), [दालों](#), [आटा](#), [बाजरा उत्पादों](#) और घी बेचने वाली कुछ कंपनियों अपने उत्पादों के बारे में झूठे दावे कर रही हैं। ये दावे [वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं](#) और [उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं](#)।
 - इन मामलों को FSSAI ने लाइसेंसिंग अधिकारियों को [संदर्भित किया है](#), जो अपने भ्रामक दावों को वापस लेने या संशोधित करने के लिये कंपनियों को नोटिस जारी करेंगे।
 - अनुपालन करने में [वफिलता के परिणामस्वरूप उनके लाइसेंस के दंड](#), [नलिंबन](#) या [रद्दीकरण](#) हो सकते हैं, क्योंकि झूठे दावे या वजिजापन करना [खाद्य सुरक्षा और मानकों \(FSS\) अधिनियम, 2006 की धारा -53 के तहत एक दंडनीय अपराध है](#)।
- भ्रामक खाद्य वजिजापनों से संबंधित [चर्चाएँ मुख्य रूप से किसी उत्पाद के पोषण](#), [लाभ और संघटक मशिरण के बारे में किये गए झूठे या नरिधार दावों के इरद-गरिद घूमती हैं](#)।
- यह समस्या [वभिन्न खाद्य श्रेणियों में व्यापक है](#) और [उल्लंघनकारी खाद्य वजिजापनों की एक महत्वपूर्ण संख्या रही है](#)।
- इसके अतरिकित [खाद्य को प्रभावित करने वालों द्वारा गैर-परकटीकरण भी एक प्रमुख चर्चा का वषिय है](#)। [भ्रामक वजिजापनों से उपभोक्ताओं को भ्रम हो सकता है और यदवे झूठे दावों के आधार पर गलत भोजन विकल्प चुनते हैं तो उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है](#)।

उपभोक्ता संरक्षण और भ्रामक वजिजापनों से नपिटने हेतु पहलें:

- [खाद्य सुरक्षा और मानक \(वजिजापन और दावे\) वनियम, 2018](#): यह वशिष रूप से भोजन (और संबंधित उत्पादों) से संबंधित है, जबकि [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण \(CCPA\) के नियम माल](#), [उत्पादों और सेवाओं को कवर करते हैं](#)।
- [केबल टेलीवजिन नेटवर्क नियम, 1994](#): यह नरिधारित करता है कि वजिजापनों को लेकर यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि इसमें "कुछ वशिष या चमत्कारी या अलौकिक संपत्तियां गुणवत्ता है, जैसे साबित करना मुश्कल है।
- [FSS अधिनियम 2006](#): किसी बीमारी, विकार या वशिष मनोवैज्ञानिक स्थिति की रोकथाम, उपशमन, उपचार या इलाज हेतु उपयुक्तता का सुझाव देने वाले उत्पाद के दावे नषिदिध हैं, जब तक कि FSS अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत वशिष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है।
- [उपभोक्ता कल्याण कोष](#): इसे उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने हेतु केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (Central Goods and Services Tax- CGST) अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया था।
 - [कुछ उदाहरण](#): उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और परशकिषण को बढ़ावा देने हेतु [प्रतिष्ठित संस्थानों/वशिष्वविद्यालयों में उपभोक्ता कानून पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का नरिमाण](#)। [उपभोक्ता साकषरता एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये परयोजनाएँ](#)।
- [केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद](#): इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की नगरिानी और उन्हें लागू करके उपभोक्ता शकिषा की सुवधि

प्रदान करके एवं उपभोक्ता नविवरण तंत्र प्रदान करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। इसके अलावा परषिद उपभोक्ता-हितैषी नीतियों तथा पहलों को भी बढ़ावा देती है।

- **उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021:** यह नियम उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। नियमों ने उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करने हेतु आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित किया।
- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:** ये नियम बाध्यकारी हैं, न कि सलाहकारी। **वकिरेता सामान वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने या धन वापसी से इनकार नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे सामान या सेवाएँ दोषपूर्ण, कम, देर से वितरित की जाती हैं या यदावे प्लेटफॉर्म पर दिये गए विवरण को पूरा नहीं करती हैं।**

पैकेज्ड फूड को दिये जाने वाले टैग:

■ प्राकृतिक:

- खाद्य उत्पाद को 'प्राकृतिक' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है यद्यपि **किसी मान्यता प्राप्त प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एकल खाद्य है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है।**
- इसे केवल मानव उपभोग हेतु उपयुक्त बनाने के लिये संसाधित किया जाना चाहिये। पैकेजिंग भी रसायनों एवं पररिक्तकों के बनिा की जानी चाहिये।
 - समग्र खाद्य पदार्थ पौधे और प्रसंस्कृत घटकों के मशिरण को 'प्राकृतिक' नहीं कहा जा सकता है, इसके बजाय वे 'प्राकृतिक अवयवों से बने' कहे जाएंगे।

■ ताज़ा:

- खाद्य पदार्थ जिन्हें बनिा किसी अन्य प्रसंस्करण के **केवल धोया, छीला, प्रशीतित, छँटनी या काटा गया है, जो उनकी मूलभूत वशिषताओं को संशोधित करता है,** उन्हें केवल "ताज़ा" कहा जा सकता है।
- यदि खाद्य पदार्थ को किसी भी तरह से उसके शेलफ लाइफ को बढ़ाने के लिये संसाधित किया जाता है, तो उसे "ताज़ा" के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।
- खाद्य करिणन (irradiation) एक नयितरति प्रक्रिया है जो **अंकुरण, पकने में देरी जैसे प्रभावों को प्राप्त करने के लिये और कीड़ों, परजीवियों एवं सूक्ष्मजीवों को मारने में वकिरिण ऊर्जा का उपयोग करती है।**
- यदि कोई उत्पाद तैयार होने के तुरंत बाद जम जाता है, तो इसे **"ताज़े जमे हुए (freshly frozen)" "जमे हुए ताज़े (fresh frozen)"** के रूप में लेबल किया जा सकता है।
 - हालाँकि अगर इसमें एडिटिविस हैं या ये किसी अन्य आपूरति शृंखला प्रक्रिया से गुज़रे हैं, तो इसे "ताज़ा" के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है।

■ शुद्ध:

- **शुद्ध का उपयोग एकल-घटक खाद्य पदार्थों के लिये किया जाना चाहिये** जिसमें कुछ भी अतरिक्त नहीं जोड़ा गया है और जो सभी परहार्य संदूषण से रहित है।
 - यौगिक खाद्य पदार्थों को 'शुद्ध' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदावे उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें 'शुद्ध सामग्री से बना' कहा जा सकता है।

■ असली:

- असली/ओरजिनल का उपयोग एक फॉर्मूलेशन से बने खाद्य उत्पादों का वर्णन करने के लिये किया जाता है, जिसकी उत्पादक वशिष में पता लगाया जा सकता है जिसमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं आता है।
- उनमें किसी भी प्रमुख सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसी तरह इसका उपयोग एक वशिषिट प्रक्रिया का वर्णन करने के लिये किया जा सकता है जो समय के साथ अनविर्य रूप से अपरविरतित है, हालाँकि उस उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।

■ पोषण संबंधी दावे:

- खाद्य वजिज़ापनों में पोषण संबंधी दावे किसी उत्पाद की वशिषिट सामग्री अथवा किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ तुलना के बारे में हो सकते हैं। **एक खाद्य पदार्थ में तुलनीय खाद्य पदार्थ के समान पोषण मूल्य होना चाहिये यदायिह दावा करता है कि इसमें किसी अन्य खाद्य पदार्थ के समान पोषक तत्त्व की मात्रा है।**
- पोषण संबंधी दावे या तो किसी उत्पाद की वशिषिट सामग्री अथवा किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ तुलना के बारे में हो सकते हैं।

आगे की राह

- कंपनियों को अपने दावों का समर्थन करने के लिये तकनीकी और नैदानिक सबूत देने की आवश्यकता है। वजिज़ापनों को भी इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये ताकि उपभोक्ता उनकी सही व्याख्या कर सकें।
- FSSAI और **राज्य खाद्य प्राधिकरणों को FBO के व्यापक और वशिषसनीय आँकड़ों को सुनिश्चित करने** और FSS अधिनियम के बेहतर प्रवर्तन और प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये अपने अधिकार क्षेत्र के तहत खाद्य व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वेक्षण करना चाहिये।
- **चोट या मृत्यु के मामलों में मुआवज़े और जुरमाने की सीमा बढ़ाने** तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006 ने खाद्य अपमशिरण नविरण अधनियिम, 1954 को प्रतस्थापति कयिा है ।
2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थय और परविर कल्याण मंत्रालय में स्वास्थय सेवा के महानदिशक के प्रभार के अंतरगत आता है ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- यह स्वास्थय एवं परविर कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त नकियाय है । इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006 के तहत स्थापति कयिा गया है, यह वभिनिन अधनियिमों तथा आदेशों को समेकति करता है जसिने अब तक वभिनिन मंत्रालयों और वभिगों में खाद्य संबंधी मुद्दों के समाधान में सहायता की है ।
- **खाद्य मानक और सुरक्षा अधनियिम, 2006** को **खाद्य अपमशिरण नविरण अधनियिम, 1954**, फल उत्पाद आदेश, 1955 जैसे कई अधनियिमों एवं आदेशों के स्थान पर लाया गया । **अतः कथन 1 सही है ।**
- FSSAI का नेतृत्व एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कयिा जाता है, जसि केंद्र सरकार द्वारा नयुक्त कयिा जाता है । वह **भारत सरकार के अंतरगत सचवि पद के समकक्ष हो अथवा सचवि पद से नीचे कार्यरत न रहा हो** । FSSAI स्वास्थय सेवा महानदिशक के अधीन नहीं है । **अतः कथन 2 सही नहीं है ।**
- FSSAI को मानव उपभोग के लयि सुरक्षति और पौष्टकि भोजन की उपलब्धता सुनश्चति करने हेतु खाद्य पदार्थों के लयि वजिज्ञान आधारति मानकों को नरिधारति करने तथा उनके नरिमाण, भंडारण, वतिरण, बकिरी और आयात को वनियिमति करने के लयि बनाया गया है ।
- **अतः वकिल्प (a) सही है ।**

स्रोत : द हदि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/curtailing-misleading-food-ads>